फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री किशनलाल **बनाम** **विपक्षी : श्रीमती कंकुबाई व अन्य**

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **पत्रावली संख्या : 05/21**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 855/1 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में 18/32 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम तथा 14/32 हिस्सा मूल वाद मे प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पिता /पति श्री मोजीराम के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में से 18/32 हिस्सा खातेदार श्री मोजीराम से दिनांक 14.12.1999 को पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा तब से निरन्तर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1, 2 का किसी प्रकार से हक, अधिपत्य, अधिकार नहीं है परन्तु इस आराजी के पुर्व दिशा की तरफ विपक्षी संख्या 1 की आराजी स्थित है जिससे विपक्षी संख्या 1, 2 जबरन प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाह रहें है जिससे विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि विवादित आराजीयात दिनांक 17.06.1989 से विपक्षीगण के आधिपत्य में चली आ रही है और विपक्षीगण का ही निरन्तर निराबाध खुले रूप से उक्त दिनांक से प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारीगण मोजीराम, संतोषलाल, बाबुलाल और नंदलाल के सामने विपक्षीगण द्वारा पक्के मकान निर्माण कर स्थाई रूप से निवास कर रहें। शेष रकबा आराजी पर विपक्षीगण कृषि एवं पशुओं के उपयोग में लेते चले आ रहें है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। तथाकथित विक्रय पत्र प्रार्थीगण एवं पुर्वाधिकारीगण द्वारा विधि अनुरूप एवं सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहीत हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा कथन कहा कि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहें है तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है जिससे विपक्षी को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा राजपुरा, पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की आराजी नम्बर 855/1 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:19 IST
Reason: SelfAttested